मूल हिंदी

**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 224**

**29 जनवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी**

**224. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत राजस्थान में, झुंझुनूं लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, पूर्ण किए गए, अपूर्ण एवं लंबित मकानों की लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत झुंझुनूं लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत, निर्मित एवं लंबित मकानों की वर्ष-वार स्थिति क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना में निर्धारित समय-सीमाओं का उल्लंघन हुआ है और लाभार्थियों द्वारा भुगतान, गुणवत्ता एवं निर्माण में विलंब से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और यदि हां, तो ऐसी दर्ज शिकायतों की संख्या कितनी है तथा उनके निवारण की वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य राजस्थान सहित देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों में रहने योग्य पक्का आवास उपलब्ध कराना है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में

किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित लाभार्थियों के लिए कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से, 22.01.2026 तक 114.84 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और 97.02 लाख आवास बनाए/ देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। राजस्थान राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत और पूर्ण/ लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का निर्वाचन क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

राजस्थान राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अब तक कुल 3.48 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 3.12 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना के तहत झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 2,743 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1,757 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करता है, जिसमें केंद्रीय सहायता जारी करने और स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए इसका उपयोग करने के संबंध में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय पर अनुपालन प्रस्तुत करना शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने में कोई विलंब नहीं हुआ है और राजस्थान राज्य से गुणवत्ता, भुगतान अथवा निर्माण में विलंब के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई भी शिकायत, यदि कोई हो, का समाधान मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहर दोनों स्तरों पर उपलब्ध उपयुक्त शिकायत निपटान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और मौजूदा कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा, निवारण के लिए पीएमएवाई-यू सहित सेवा प्रदायगी से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए नागरिकों हेतु एक केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भी उपलब्ध है। योजना के कार्यान्वयन के किसी भी पहलू के बारे में आवासन और शहरी कार्य

मंत्रालय या सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त व्यथाओं/शिकायतों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जांच और उचित कार्रवाई के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है।

*****

दिनांक 29.01.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

राजस्थान राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत और पूर्ण/ लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का निर्वाचन क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

| **निर्वाचन क्षेत्र का नाम** | **स्वीकृत** | **निर्माणाधीन** | **पूर्ण** |
|---|---|---|---|
| अजमेर | 9,349 | 7,759 | 5,630 |
| अलवर | 2,688 | 1,706 | 875 |
| बांसवाड़ा (एसटी) | 1,529 | 878 | 800 |
| बाड़मेर | 5,042 | 4,311 | 3,854 |
| भरतपुर (एससी) | 3,237 | 2,935 | 3,021 |
| भीलवाड़ा | 2,790 | 2,663 | 2,356 |
| बीकानेर (एससी) | 13,372 | 5,850 | 4,666 |
| चित्तौड़गढ़ | 2,959 | 2,398 | 3,219 |
| चुरू | 4,115 | 3,366 | 2,835 |
| दौसा (एसटी) | 4,186 | 2,245 | 1,545 |
| गंगानगर (एससी) | 11,235 | 9,117 | 7,599 |
| जयपुर | 2,443 | 2,482 | 1,433 |
| जयपुर ग्रामीण | 3,263 | 2,124 | 1,444 |
| जालोर | 4,313 | 3,285 | 2,669 |
| झालावाड़-बारां | 4,631 | 4,281 | 3,797 |
| झुंझुनू | 1,861 | 1,965 | 1,757 |
| जोधपुर | 19,251 | 17,660 | 11,848 |
| करौली -धौलपुर (एससी) | 9,687 | 8,425 | 6,707 |
| कोटा | 7,978 | 7,455 | 6,328 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| नागौर | 2,838 | 2,397 | 2,101 |
| पाली | 5,033 | 4,512 | 3,804 |
| राजसमंद | 1,695 | 1,903 | 2,378 |
| सीकर | 1,933 | 1,666 | 1,262 |
| टोंक - सवाई माधोपुर | 9,778 | 7,591 | 5,732 |
| उदयपुर (एसटी) | 3,173 | 2,478 | 1,722 |
| **कुल** | **1,38,379** | **1,11,452** | **89,382** |

दिनांक 29.01.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा प्रश्न संख्या 224 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- II

झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का वर्ष-वार विवरण

| **वित्तीय वर्ष** | **स्वीकृत आवासों की संख्या** | **पूर्ण आवासों की संख्या*** |
|---|---|---|
| 2017-2018 | 416 | -- |
| 2018-2019 | 381 | -- |
| 2021-2022 | 85 | -- |
| 2022-2023 | 849 | -- |
| 2023-2024 | 643 | 502 |
| 2024-2025 | 250 | 941 |
| 2025-2026 | 119 | 314 |
| **कुल** | **2,743** | **1,757** |

* इस वर्ष के दौरान पूर्ण हुए आवासों में वे आवास भी शामिल हैं जिन्हें पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत किया गया था।